HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 378/2022
URN: CSA / 661U / 2022

Ashok Singh S/o Sh. Govind Singh, Aged About 66 Years, R/o Survey No. 29642, Nagtalai Kacchi Basti, Surajpole Anaj Mandi, Galta Road, Delhi Byepass Road, Jaipur.

----Appellant/Defendant No. 4

Versus

1. Virendra Singh S/o Sh. Ratan Singh, R/o Survey No. 184, Nagtalai Kacchi Basti, Delhi Byepass Road, Jaipur.

----Respondent/Plaintiff

2. Nagar Nigam, Jaipur, Through Mahapor, Nagar Nigam, Headquarter, Pandit Deendayal Upadhyay Bhawan, Lal Kothi, Jaipur.

3. Deputy Commissioner, Hawamahal Zone (East), Nagar Nigam Office, Jaipur.

4. Ghanshyam Singh S/o Sh. Govind Singh, R/o Survey No. 29642, Nagtalai Kacchi Basti, Surajpole Anaj Mandi, Galta Road, Delhi Byepass Road, Jaipur.

5. Gajendra Singh S/o Sh. Manohar Singh, R/o Survey No. 357, Nagtalai Kacchi Basti, Surajpole Anaj Mandi, Galta Road, Delhi Byepass Road, Jaipur.

----Respondents/Defendants

For Appellant(s)	:	Mr. Alok Chaturvedi, Adv. Mr. Kartik Sharma, Adv. Mr. Rahul Sharma, Adv. Ms. Vedika Yadav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Usman Khan, Adv. Mr. Zeeshan Khan, Adv. Mr. Ashish Sharma Upadhyay, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

15/07/2026

अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 (जिसे आगे 'अपीलार्थी' के नाम से संबोधित किया जाएगा) की ओर से यह द्वितीय अपील न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर, जिला जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय न्यायालय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा दीवानी नियमित अपील संख्या 05/2020 उनवानी अशोक सिंह बनाम वीरेन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2022 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान अपीलीय न्यायालय ने न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर, जिला जयपुर (जिसे आगे 'विचारण न्यायालय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी (जिसे आगे 'प्रत्यर्थी' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा प्रस्तुत दीवानी वाद संख्या 98/2018 (107/2016) उनवानी विरेन्द्र सिंह बनाम नगर निगम व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की गयी है।

उभयपक्षों को अपील के ग्रहणार्थ प्रक्रम पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 5/2020 में अपीलार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र को अपील के निर्णय के साथ गुणावगुण पर विवेचित कर निर्णीत करना चाहिए था, लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा

निर्णीत नहीं किया गया और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर नहीं लेकर अपीलार्थी की अपील उसके विरुद्ध निस्तारित कर दी गयी। यदि विद्वान अपीलीय न्यायालय उक्त प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर विचार करता और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर आते, तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार हो जाती। अतः विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता को गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत कियेः—

1. Suman Devi Vs. Smt. Nathiya Devi through LRs and Others; S.B. Civil Second Appeal No. 223/2018; order dated 05.09.2018.
2. Shankar Lal Saini Versus Smt. Nagina Patolia and Anr.; S.B. Writ Petition No. 8964/2021; order dated 14.08.2025.

प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र विद्वान अपीलीय न्यायालय को अपील के निर्णय के साथ निस्तारित करना चाहिए था, लेकिन विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का तो निर्णय कर दिया गया परंतु उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए प्रकरण विद्वान अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान विचारण न्यायालय और विद्वान अपीलीय न्यायालय के निर्णय में उल्लेखित तथ्यों व आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र

में अंकित तथ्यों के आधार पर इस अपील में निम्न सारभूत विधिक प्रश्न उद्भूत होता हैः–

''क्या आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2022 विधिक प्रावधानों के विपरीत है?''

अपील विचारणार्थ ग्रहण की जाती है।

वर्तमान प्रकरण में प्रत्यर्थी विरेन्द्र सिंह की ओर से वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पत्ति को अपने स्वामित्व की होना बताते हुए उस पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करना बताया है और प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त सम्पत्ति में तोड़–फोड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना बताया है तथा वादपत्र में अंकित सम्पत्ति का कब्जा प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाये जाने और मिन्स प्रोफिट तथा स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने लिखित कथन में फतेह सिंह नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है और उसे हटाने के लिए तोड़–फोड़ किया जाना बताया है। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर बनी दुकान वगैरह फतेह सिंह की कब्जेशुदा होना बताया है। पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा 5 विवाद्यक विरचित किये गये, जिनको विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2019 पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध वादीगण का दावा आदेशानुसार आंशिक रूप से डिक्री किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी अशोक सिंह ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की, जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2022 पारित कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गयी तथा अपील अस्वीकार कर खारिज की गयी।

अपीलार्थी ने अपने आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपील संख्या 01/2018 नगर निगम बनाम फतेह सिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.04.2016 की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी, जिसके आधार पर फतेह सिंह द्वारा बनायी गयी तीन अवैध दुकानें नगर निगम द्वारा तोड़ी गयीं और विरेन्द्र सिंह नामक व्यक्ति के कब्जे के किसी भी निर्माण को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि वहां ऐसा कोई कब्जा ही नहीं था। अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त निर्णय की प्रतिलिपी साक्ष्य में ग्रहण करने व दस्तावेज का संज्ञान लेते हुए अपील का निर्णय करने की प्रार्थना की गयी थी।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण से किस प्रकार सुसंगत है और उक्त प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2022 पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए अपील का पुनः निस्तारण करने हेतु प्रकरण विद्वान अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है।

अपीलार्थी की ओर से जो विनिश्चय प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें अभिनिर्धारित सिद्धांतों के अनुसार भी विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना अपील का निस्तारण किया जाना विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है।

अतः दोनों पक्षों की सहमति व प्रार्थना पर विद्वान अपीलीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर, जिला जयपुर द्वारा नियमित अपील संख्या 5/2020 अशोक सिंह बनाम विरेन्द्र सिंह व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2022 को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय को

पत्रावली इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी अशोक सिंह द्वारा दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता पर दोनों पक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र व अपील में गुणावगुण पर आदेश/निर्णय पारित करे।

चूंकि दोनों पक्षों के मध्य वर्ष 2016 से प्रकरण लंबित है, ऐसे में विद्वान अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश की प्रति प्राप्त होने से तीन माह के भीतर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का निस्तारण करे। पक्षकारान दिनांक 06.08.2026 को विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

संलग्न प्रार्थना पत्र, यदि कोई लंबित हों, भी निस्तारित किये जाते हैं।

आदेश की प्रति के साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/94 (S)